प्रेषक,

**निदेशक,**
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन,लखनऊ।

सेवा में,

**रजिस्ट्रार,**
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 1226/एम0–एन0जी0टी0वाद–गाजियाबाद/2021 दिनांकः 06 दिसम्बर, 2022

**विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–160 वर्ष 2022 ओमपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्यक्त विषयक के सम्बन्ध में अपने कर्यालय के ई–मेल पत्र दिनांक 19.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 16.11.2022 के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:–

"8. In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, we also consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) the Director, Directorate of Mining and Geology, Uttar Pradesh (3) Uttar Pradesh State Pollution Control Board, (4) the District Magistrate, Ghaziabad and (5) the Project Proponent- Mr. Mumtaz Ali S/o Mr. Fakir Mohammad, resident of Mohammadabad, District Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh, who stand impleaded as respondents No. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 2, 4 and 5."

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में निदेशालय के पत्र संख्या–1201/एम–एन0जी0टी0–वाद–2022 दिनांक 29.11.2022 द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद से आख्या प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तत्क्रम में खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या–1031/ख0अनु0–गाजि0/एन0जी0टी0–वाद/22–23 दिनांक 02.12.2022 उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्या के अनुसारः–

''जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी के अन्तर्गत ग्राम पचायरा खण्ड–1 गाटा सं0 8मि0, 9मि0, 10मि0, 11मि0, 12मि0, 13मि0, 17मि0, 18मि0, 19मि0, 20मि0, 21मि0, 22मि0, 25मि0, 26मि0, 27मि0, 30मि0, 37मि0, 38मि0, 39मि0, 40मि0, 41मि0, 53मि0, 54मि0, 55मि0, 56मि0, 57मि0, 237मि0, 238मि0, 239मि0, 240मि0, रकबा–16.183 है0 खनन योग्य मात्रा 323600 घनमी0 बिड दर रू0–206/–प्रति घनमी0 हेतु बालू खनन पट्टा 05 वर्ष (14.10.2020 से 13.10.2015) की अवधि के लिये श्री मुमताज अली पुत्र स्व0 श्री फकीर मोहम्मद, निवासी–मौहम्मदाबाद, जनपद–ज्यातिबा फूले नगर–244235 के पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में मा0 न्यायालय, एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–160 वर्ष 2022 ओमपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 16.11. 2022 पारित किया गया है, जिसके मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् हैं:–

"11. In view of the facts and circumstances of the case particularly the fact that the project proponent is alleged to have previously indulged in illegal mining for which environmental compensation has been imposed

regarding which recovery proceeding are pending and the mandate of Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 to apply inter alia precautionary and polluter pays principles, the project proponent is restrained from carrying out any further mining from the mining site in question till further orders to the contrary."

उपरोक्त पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या–1009/ख0अनु0–गाजि0/22–23 दिनांक 18.11.2022 (संलग्नक–1) द्वारा पट्टाधारक श्री मुमताज अली के पक्ष में स्वीकृत बालू खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक के लिये प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा उक्त कार्यालय आदेश की प्रति एवं मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 की प्रति पट्टाधारक श्री मुमताज अली को उपलब्ध करा दी गयी है। वर्तमान में उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य बन्द है। पट्टाधारक श्री मुमताज अली द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 18.11.2022 प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया है कि मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक के लिये किसी प्रकार का खनन कार्य पट्टाधारक द्वारा नही किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित, अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराने का कष्ट करें।

**<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>**

भवदीय

**(विपिन कुमार जैन)**
अपर निदेशक।

संलग्नक-1

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं0 :– 1009 / ख0अनु0–गाजि0 / 22–23 दिनांकः 18/11/ 2022

**आदेश**

श्री मुमताज अली,
पुत्र स्व0 श्री फकीर मौहम्मद,
निवासी– मौहम्मदाबाद, जनपद–ज्योतिबा फूले नगर– 244235।

**विषयः–** **मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 में योजित याचिका सं0 OA No. 160/2022 Om Pal & Ors. Versus State of U.P. & Anr. में पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 के अनुपालन के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके पक्ष में जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी अन्तर्गत ग्राम पचायरा खण्ड–1 गाटा सं0 8मि0, 9मि0, 10मि0, 11मि0, 12मि0, 13मि0, 17मि0, 18, 19, 20मि0, 21मि0, 22मि0, 25मि0, 26मि0, 27मि0, 30मि0, 37मि0, 38मि0, 39मि0, 40मि0, 41मि0, 53मि0, 54मि0, 55मि0, 56मि0, 57मि0, 237मि0, 238मि0, 239मि0, 240मि0 रकबा 16.183 है0 खनन योग्य मात्रा 323600 घ0मी0 बिड दर रू0 206/– प्रति घ0मी0 हेतु बालू खनन पट्टा 05 वर्ष (दिनांक 14.10.2020 से 13.10.2025) की अवधि के लिये स्वीकृत एवं निष्पादित किया गया था।

आपके पक्ष में स्वीकृत उक्त खनन पट्टा के सम्बंध में मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 में याचिका सं0 OA No. 160/2022 Om Pal & Ors. Versus State of U.P. & Anr. योजित की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 16.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) पारित किया गया है, जिसके मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

**" 11. In view of the facts and circumstances of the case particularly the fact that the project proponent is alleged to have previously indulged in illegal mining for which environment compensation has been imposed regarding which recovery proceeding are pending and the mandate of Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 to apply inter alia precautionary and polluter pays principles, the project proponent is restrained from carrying out any further mining from the mining site in question till further orders to the contrary."**

उपरोक्तानुसार मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2022 द्वारा आपके पक्ष में स्वीकृत एवं निष्पादित बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–1, तहसील लोनी में बालू खनन कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अतः मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत उपखनिज बालू के खनन पट्टा क्षेत्र तहसील लोनी अन्तर्गत ग्राम पचायरा खण्ड–1 गाटा सं0 8मि0, 9मि0, 10मि0, 11मि0, 12मि0, 13मि0, 17मि0, 18, 19, 20मि0, 21मि0, 22मि0, 25मि0, 26मि0, 27मि0, 30मि0, 37मि0, 38मि0, 39मि0, 40मि0, 41मि0, 53मि0, 54मि0, 55मि0, 56मि0, 57मि0, 237मि0, 238मि0, 239मि0, 240मि0 रकबा 16.183 है0 में खनन कार्य को अग्रिम आदेशों तक के लिये तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है

—2

तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन कार्य न किया जाये। यदि आपके खनन पट्टा क्षेत्र में आपके स्तर से कोई भी खनन संक्रिया होती पायी जाती है, तो उसे मा0 न्यायालय के आदेशों की अवमानना मानते हुये आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकः— यथोक्त।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
4. अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0), गाजियाबाद।
5. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), गाजियाबाद।
6. उपजिलाधिकारी लोनी।
7. क्षेत्राधिकारी पुलिस, लोनी।
8. खान अधिकारी, गाजियाबाद।
9. थानाध्यक्ष, लोनी / ट्रोनिका सिटी।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।